

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2021 — फाल्गुन 3, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना
संख्या 92/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-07/2021/वाक/पांच (15).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक (17 सन् 2020)) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 14 के उपबंध प्रवृत्त माने जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-07/2021/वाक/पांच (15).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-07/2021/वाक/पांच (15), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 92/2020 – State Tax

No. F 10-07/2021/CT/V(15).— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of section 1 of the The Chhattisgarh Goods and Services Tax(Amendment) Act, 2020 [Chhattisgarh Act (No 17 of 2020)] (hereinafter referred to as the said Act), the State Government hereby appoints the 1st day of January,

2021, as the date on which the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 14 of the said Act shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना

संख्या 94/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-07/2021/वाक/पांच (16).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये दिनांक 22 दिसंबर, 2020 से प्रवृत्त माने जाएंगे ।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 8 में, उपनियम (4क) के स्थान पर, अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होने के साथ, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4क) नियम (4) के अधीन दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के पश्चात, आवेदक का जहां आवेदक कोई व्यक्ति है अथवा जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है वहां धारा 25 की उपधारा (6क) के अंतर्गत यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का—

(क) बायोमैट्रिक आधारित आधार सत्यापन और फोटोग्राफ लिया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने अपने आधार संख्या के अभिप्रमाणन का विकल्प दिया हो तो; या

(ख) यथा अधिसूचित बायोमैट्रिक सूचना, फोटोग्राफ लिया जाएगा और ऐसे अन्य केवाईसी कागजातों का सत्यापन किया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने आधार का अभिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है, और साथ ही प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में दिए गए आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का, इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त के द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र में, सत्यापन किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तभी पूरा माना जाएगा जब इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है।”

3. उक्त नियम में, नियम 9 में,—

(क) उपनियम (1) में —

(i) “आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से” शब्दों के पश्चात “तीन” शब्द के स्थान पर “सात” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परंतुको के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“परंतु जहां—

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

नियम 25 के अधीन दी गई रीति से, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराये जाने के पश्चात तथा जैसा उचित अधिकारी उचित समझें ऐसे कागजातों का सत्यापन किए जाने के पश्चात, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।”;

(ख) उपनियम (2) में,

(i) "तीन" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"परंतु जहां—

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी –03 में नोटिस जारी किया जा सकेगा।";

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने से चूक जाता है,—

(क) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर उस मामले में जहां कि ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) को परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है तो; या

(ख) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जहां ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अंतर्गत आता हो तो ; या

(ग) उपनियम (2) के अंतर्गत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के अवधि के भीतर तो,

रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।"

4. उक्त नियम में, नियम 21 में,—

(क) खंड (ख) में, "माल या सेवाओं" शब्द के पश्चात "या दोनों" शब्द को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंडों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ड) धारा 16 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में इनपुट कर प्रतय्य का लाभ प्राप्त करता है; या

(च) धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर- 1 में एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे उसके द्वारा संबन्धित कर अवधियों के लिए धारा 39 के अधीन प्रस्तुत की गई वैध विवरणी में घोषित किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे से अधिक है; या

(छ) नियम 86ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।"

5. उक्त नियम में, नियम 21क में, —

(क) उपनियम (2) में, "उक्त व्यक्ति को सुनवाई का यथोचित अवसर दिये जाने के पश्चात" शब्दों को लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा: —

"(2क) जहां, धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना

(क) प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे; या

(ख) उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित जावक प्रदायों के ब्यौरे,

या ऐसे अन्य विशलेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, तो उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर

संशोधित पते पर, इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।”;

(ग) उपनियम (3) में, “या उपनियम (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात “या उपनियम (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(घ) उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(3क) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) या उपनियम (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के निलंबित रहने के अवधि के दौरान, धारा 54 के अधीन कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।”;

(ङ) उपनियम (4) में, -

(i) “या उपनियम (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात “या उपनियम (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“परंतु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को समुचित अधिकारी प्रतिसंहरण कर सकता है, रद्दीकरण की प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय यदि वह उचित समझता है तो।”.

6. उक्त नियम में, नियम 22 में,—

(क) उपनियम (3) में, “उपनियम (1) के अधीन जारी किया गया कारण बताओ नोटिस” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात “या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (4) में, “उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किया गया उत्तर” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात “या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर को अंतः स्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियम में, नियम 36 में, उपनियम (4) में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी, -

(क) दोनों जगह जहां—जहां भी “अपलोडेड” शब्द का उपयोग हुआ है वहां—वहां इसके स्थान पर “प्रस्तुत” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) दोनों ही जगहों पर जहां—जहां “धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ताओं के द्वारा” शब्द कोष्ठक और अंक का उपयोग हुआ है वहां—वहां इनके पश्चात “प्ररूप जीएसटीआर—1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा की उपयोग करते हुए” शब्द, अक्षर और अंक को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ग) “10 प्रतिशत” अंक और शब्द के स्थान पर “5 प्रतिशत” अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. उक्त नियम में, नियम 59 में, उपनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(5) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,—

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर— 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर—1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर—1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर— 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99b से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर—1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर— 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

9. उक्त नियम में 86क के पश्चात 01 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम को अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"86ख. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध रकम के उपयोग पर प्रतिबंध.— इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उन मामलों में ऐसी कराधेयता के 99% से अधिक उत्पाद कर के लिए अपनी देयता के निष्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल नहीं करेगा जहां छूट आपूर्ति तथा शून्य दर वाली आपूर्ति से भिन्न कराधेय आपूर्ति का मूल्य एक माह में पचास लाख रुपये से अधिक है:

परंतु उक्त प्रतिबंध वहां नहीं लागू होगा जहां—

(क) यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी अथवा कर्ता अथवा प्रबंध निदेशक अथवा इसके दो साझीदारों में से कोई एक, पूर्णकालिक निदेशक, संघों की प्रबंध समिति के सदस्य अथवा बोर्ड न्यासी, ने विगत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय के रूप में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर विवरणी दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गयी है; अथवा

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (i) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (ii) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदाय रकम एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त की है; अथवा

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उस रकम के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से उत्पाद कर के प्रति अपनी देयता का निर्वहन किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में उक्त माह तक संचयी रूप से प्रयुक्त कुल आउटपुट कर देयता के 1% से अधिक है; अथवा

(ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होता है—

(i) सरकारी विभाग; अथवा

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम; अथवा

(iii) स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(iv) सांविधिक निकाय:

परंतु यह भी कि आयुक्त अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे सत्यापन तथा ऐसे रक्षोपायों जिसे वह उचित समझे, के उपरांत उक्त प्रतिबंध को हटा सकता है।"

10. उक्त नियम में, नियम 138 के, उपनियम (10) में, 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी —

(क) तालिका के स्तंभ 2 में क्रम सं. 1 के सामने शब्द तथा अंक "100 किमी." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "200किमी." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) तालिका के स्तंभ 2 में क्रम सं. 2 के सामने शब्द तथा अंक "100 किमी." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "200 किमी." को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

11. उक्त नियम में नियम 138ड में,—

(क) खण्ड (ख) में, "दो माह" शब्द के स्थान पर, "दो कर अवधि" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ग) के उपरांत निम्नलिखित खण्ड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(घ) एक व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 21(क) के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) अथवा उपनियम (2क) के प्रावधानों के अधीन निलंबित कर दिया गया है।"

12. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरईजी —30 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात —

प्ररूप जीएसटी आरईजी—31

(नियम 21क देखें)

संदर्भ सं.
सेवा में,

जीएसटीआईएन:

नाम:

पता:

तारीख: <दिन><माह><वर्ष>

रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए सूचना और रद्दीकरण के लिए नोटिस

निम्नलिखित की तुलना में, यथा,

- (i) अपने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 39 के अंतर्गत भरे गए विवरणी;
- (ii) अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 में भरे गए बाह्य आपूर्तियों का ब्यौरा;
- (iii) अपने आवक आपूर्तियों का ऑटो जनरेटेड ब्यौरा,
----- से -----तक की अवधि से संबंधित;
- (iv) (स्पष्ट करें)

और अन्य उपलब्ध जानकारी के मिलान में निम्नलिखित विसंगति/असंगति का पता चला है:

- ☐ टिप्पणी 1
- ☐ टिप्पणी 2
- ☐ टिप्पणी 3

(करदाता के सुसंगत मानदण्डों के आधार पर भरा जाने वाला ब्यौरा).

2. प्रथम दृष्टया विषंगतियों/अषंगतियों से यह प्रकट होता है कि इनसे छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन दर्शित करती है कि यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो आपके रजिस्ट्रीकृत को रद्दीकरण के लिये दायी होगा ।
3. इस बात पर विचार करते हुए कि उपर्युक्त विषंगतियां/अषंगतियां इतनी गंभीर हैं और इनसे राजस्व संबंधी हित पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है अतः क तात्कालिक उपाय के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण को नियम 21क के उपनियम (2क) के अनुसार इस सूचना की तारीख से रद्द कर दिया जाता है ।
4. आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले कर अधिकारी के पास अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें जिसमें उपर्युक्त विषंगति/अषंगति के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दें। यदि जीएसटी के सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से आपके दस्तावेजों का दुरुपयोग किये जाने की संभावना हो तो उसको भी विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी की जानकारी में लाया जाये।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों के साथ-साथ आपके उत्तर से अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी यदि संतुष्ट होता है और अन्य किसी सत्यापन से जिसे उक्त अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी आवश्यक समझता है तो आपके रजिस्ट्रीकरण के आस्थगन को हटाया जा सकता है ।
6. आप कृपया यह नोट कर लें कि यदि आप विनिर्दिष्ट अवधि में अपना उत्तर नहीं देते हैं या कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है ।

नाम:
पदनाम:

नोट: यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसके जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।”.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-07/2021/वाक/पांच (16).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-07/2021/वाक/पांच (16), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 94/2020 – State Tax

No. F 10-07/2021/CT/V(16) - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force on 22th day of December, 2020.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (4A), with effect from a date to be notified, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(4A) Every application made under rule (4) shall be followed by—

(a) biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph, unless exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted for authentication of Aadhaar number; or

(b) taking biometric information, photograph and verification of such other KYC documents, as notified, unless the applicant is exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted not to get Aadhaar authentication done,

of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub-rule.”.

3. In the said rules, in rule 9,-

(a) in sub-rule (1), -

(i) after the words “applicant within a period of”, for the word “three”, the word “seven” shall be substituted;

(ii) for the provisos, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that where-

(a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or

(b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business,

the registration shall be granted within thirty days of submission of application, after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25 and verification of such documents as the proper officer may deem fit.”;

(b) in sub-rule (2), -

(i) for the word “three”, the word “seven” shall be substituted;

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that where-

(a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or

(b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business,

the notice in FORM GST REG-03 may be issued not later than thirty days from the date of submission of the application.”;

(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(5) If the proper officer fails to take any action, -

- (a) within a period of seven working days from the date of submission of the application in cases where the person is not covered under proviso to sub-rule (1); or
- (b) within a period of thirty days from the date of submission of the application in cases where a person is covered under proviso to sub-rule (1); or
- (c) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.”.

4. In the said rules, in rule 21,-

(a) in clause (b), after the words “goods or services”, the words “or both” shall be inserted;

(b) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(e) avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the Act or the rules made thereunder; or

(f) furnishes the details of outward supplies in FORM GSTR-1 under section 37 for one or more tax periods which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax periods; or

(g) violates the provision of rule 86B.”.

5. In the said rules, in rule 21A,-

(a) in sub-rule (2), the words “,after affording the said person a reasonable opportunity of being heard,” shall be omitted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(2A) Where, a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with

(a) the details of outward supplies furnished in FORM GSTR-1; or

(b) the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their FORM GSTR-1,

or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in FORM GST REG-31, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences and anomalies and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.”;

(c) in sub-rule (3), after the words, brackets and figure “or sub-rule (2)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (2A)” shall be inserted;

(d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3A) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rule (2) or sub-rule (2A), shall not be granted any refund under section 54, during the period of suspension of his registration.”;

(e) in sub-rule (4), -

(i) after the words, brackets and figure “or sub-rule (2)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (2A)” shall be inserted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the suspension of registration under this rule may be revoked by the proper officer, anytime during the pendency of the proceedings for cancellation, if he deems fit.”.

6. In the said rules, in rule 22,-

- (a) in sub-rule (3), after the words, brackets and figure “the show cause issued under sub-rule (1)”, the words, brackets, figures and letters “or under sub-rule (2A) of rule 21A” shall be inserted;
- (b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure “reply furnished under sub-rule (2)”, the words, brackets, figures and letters “or in response to the notice issued under sub-rule (2A) of rule 21A” shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (4), with effect from the 1st day of January, 2021,-

- (a) for the word “uploaded”, at both the places where it occurs, the word “furnished” shall be substituted;
- (b) after the words, brackets and figures “by the suppliers under sub-section (1) of section 37”, at both the places where they occur, the words, letters and figure “in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility” shall be inserted;
- (c) for the figures and words “10 per cent.”, the figure and words “5 per cent.” shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 59, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(5) Notwithstanding anything contained in this rule, -

- (a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding two months;
- (b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period;
- (c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period.”.

9. In the said rules, after rule 86A, with effect from the 1st day of January, 2021, the following rule shall be inserted, namely: -

“86B. Restrictions on use of amount available in electronic credit ledger.-Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability, in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero-rated supply, in a month exceeds fifty lakh rupees:

Provided that the said restriction shall not apply where –

- (a) the said person or the proprietor or karta or the managing director or any of its two partners, whole-time Directors, Members of Managing Committee of Associations or Board of Trustees, as the case may be, have paid more than one lakh rupees as income tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in each of the last two financial years for which the time limit to file return of income under subsection (1) of section 139 of the said Act has expired; or
- (b) the registered person has received a refund amount of more than one lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilised input tax credit under clause (i) of first proviso of sub-section (3) of section 54; or
- (c) the registered person has received a refund amount of more than one lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilised input tax credit under clause (ii) of first proviso of sub-section (3) of section 54; or
- (d) the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability, applied cumulatively, upto the said month in the current financial year; or
- (e) the registered person is –

- (i) Government Department; or
- (ii) a Public Sector Undertaking; or
- (iii) a local authority; or
- (iv) a statutory body;

Provided further that the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf may remove the said restriction after such verifications and such safeguards as he may deem fit.”.

10. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (10), with effect from the 1st day of January, 2021,-

- (a) in the Table, against serial number 1, in column 2, for the figures and letters “100 km.”, the figures and letters “200 km.” shall be substituted;
- (b) in the Table, against serial number 2, in column 2, for the figures and letters “100 km.”, the figures and letters “200 km.” shall be substituted.

11. In the said rules, in rule 138E, -

- (a) in clause (b), for the words “two months”, the words “two tax periods” shall be substituted;
- (b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
“(d) being a person, whose registration has been suspended under the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (2A) of rule 21A.”.

12. In the said rules, after FORM GST REG-30, the following FORM shall be inserted, namely-

“FORM GST REG – 31
[See rule 21A]

Reference No.

Date: <DD><MM><YYYY>

To,

GSTIN
Name:
Address:

Intimation for suspension and notice for cancellation of registration

In a comparison of the following, namely,

- (i) returns furnished by you under section 39 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017;
- (ii) outwards supplies details furnished by you in FORM GSTR-1;
- (iii) auto-generated details of your inwards supplies
for the period _____ to _____;
- (iv) (specify)

and other available information, the following discrepancies/ anomalies have been revealed:

- ☐ Observation 1
- ☐ Observation 2
- ☐ Observation 3

(details to be filled based on the criteria relevant for the taxpayer).

2. These discrepancies/anomalies prima facie indicate contravention of the provisions of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder, such that if not explained satisfactorily, shall make your registration liable to be cancelled.

3. Considering that the above discrepancies/anomalies are grave and pose a serious threat to interest of revenue, as an immediate measure, your registration stands suspended, with effect from the date of this communication, in terms of sub-rule (2A) of rule 21 A.

4. You are requested to submit a reply to the jurisdictional tax officer within thirty days from the receipt of this notice, providing explanation to the above stated discrepancy/ anomaly. Any possible misuse of your credentials on GST common portal, by any person, in any manner, may also be specifically brought to the notice of jurisdictional officer.
5. The suspension of registration shall be lifted on satisfaction of the jurisdictional officer with the reply along with documents furnished by you, and any further verification as jurisdictional officer considers necessary.
6. You may please note that your registration may be cancelled in case you fail to furnish a reply within the prescribed period or do not furnish a satisfactory reply.

Name:
Designation:

NB: This is a system generated notice and does not require signature by the issuing authority.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.